न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
3/2023	9/03/2023	25.11.2025

1. प्रेमशंकर पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. इन्द्रा शर्मा पत्नि स्व. रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. जगदीश पुत्र स्व. रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. पवन शर्मा अवयस्क पुत्र रामबाबू जाति ब्राह्मण जरिये संरक्षक माता इन्द्रा शर्मा पत्नि स्व. रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी इटावा तह०पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. ग्राम पंचायत करवाड जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

रेस्पोडेण्ट्स

अपीलान्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री कमल कुमार बंसल एड0।
रेस्पोडेण्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— एकतरफा।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 674 दिनाँक 06/02/2023 ग्राम खैरदा प०म०सौभागपुरा तह०पीपल्दा जिला कोटा राज.

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 614 दिनाँक 06/02/2023 ग्राम खैरदा पटवार मण्डल सौभागपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा (राज.) विधि विरूद्ध एवम् तथ्यों के विपरित होने खारिज किए जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण ग्राम खैरदा पटवार मण्डल सौभागपुरा की खसरा संख्या 61 रकबा 0.36है., खसरा संख्या 62 रकबा 0.21 है., खसरा संख्या 63 रकबा 0.18है., खसरा संख्या 64 रकबा 0.11है., खसरा संख्या 65 रकबा 1.34है. कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.20है. कृषि भूमि में सह खातेदार बद्रीबाई पुत्री मूलचन्द द्वारा उसका निहित 1/5 हिस्सा अपीलान्ट्स के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 15.11.2022 के आधार पर दर्ज किया गया था। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण अस्वीकार करने में विधिक एवम् तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। दिनांक 22.12.2022 को हल्का पटवारी सौभागपुरा द्वारा, पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 15.11.2022 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 20.01.2022 को भू.अ०नि०वृत करवाड द्वारा मुताबिक हकत्याग पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी अंकन सही होने की रिपोर्ट की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट क्रम 2 द्वारा दिनांक 20.01.2023 को आक्षेपित

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

नामान्तरकरण न्यायालय में विचाराधीन होना जाहिर कर तस्दीक नही किया गया। कानूनन इसके पश्चात पटवारी हल्का द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट क्रम 1 के समक्ष वास्ते निर्णय प्रस्तुत करना था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण पुनः रेस्पोडेण्ट क्रम 2 के समक्ष ही प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर रेस्पोडेण्ट क्रम 2 द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण इस आशय के आदेश के साथ अस्वीकार कर दिया गया कि विवादित होने से नामान्तरकरण अस्वीकार है। निर्णय उपरान्त नामान्तरकरण दर्ज कर पेश करे। दिनांक 20.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट क्रम 2 द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक नही करने के परिणामस्वरूप आक्षेपित नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट क्रम 1 के समक्ष वास्ते निर्णय प्रस्तुत होना चाहिये था तथा आक्षेपित नामान्तरकरण विवादित अवधारित करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट क्रम 2 को आक्षेपित नामान्तरकरण निस्तारित (स्वीकार / अस्वीकार) करने का श्रवणाधिकार अप्राप्त था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट क्रम 2 द्वारा बिना किसी आधार के, मनमर्जी से आक्षेपित नामान्तरकरण अस्वीकार करने का निर्णय कर लिया गया जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किए जाने योग्य है। वस्तुतः पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 15.11.2022 के सम्बन्ध मे बद्रीबाई एवम् अपीलान्ट्स अथवा अन्य किसी व्यक्ति के मध्य कोई वाद–विवाद विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार आक्षेपित नामान्तरकरण पूर्णतः अविवादित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तरकरण अस्वीकार होते समय अपीलान्ट्स को कोई सूचना नही दी गई इसलिए रेस्पोडेण्ट क्रम 2 का उक्त निर्णय आरबीट्रेरी एवम् विधि के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण अपास्त किया जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तरकरण अस्वीकार होते समय अपीलान्ट्स को कोई सूचना नही हुई थी। इसलिए अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की कभी कोई जानकारी नही हुई सर्वप्रथम हल्का पटवारी से दिनाँक 20/02/2023 को सम्पर्क करने पर हुई। इस पर अपीलान्ट्स को आक्षेपित नामान्तरकरण की नकल दिनांक 23.02.2023 को प्राप्त हुई। तदुपरान्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जो सर्वप्रथम जानकारी की तिथि से अवधि मध्य स्वीकार किए जाने योग्य है। विलम्ब के शमन हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक् से प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 674 दिनाँक 21/12/2022 ग्राम खैरदा पटवार हल्का सौभागपुरा) अपास्त किया जाकर अपील मे वर्णित भूमि मे पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 15.11.2022 के आधार पर सह खातेदार बद्रीबाई पुत्री मूलचन्द का 1/5 हिस्सा अपीलान्ट्स के पक्ष दर्ज अभिलेख करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलान्टस की ओर से अपील श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 किया जाकर तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्टस क्रम 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम पंचायत नामा0 दिनांक 20.01.2023 के प्रस्ताव सं0 7 से इन्तकाल 674 दिनांक 21.12.

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

2022 न्यायालय में विचाराधीन होने से तस्दीक नहीं किया गया। उक्त निर्णय के पश्चात नामा0 करन तहसील में संबंधित राजस्व अधिकारी को विचारण हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था। परन्तु आईएलआर द्वारा पुनः दिनांक 06.02.2023 को नामान्तकरण ग्राम पंचायत में पेश किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.02.2023 को प्रस्ताव सं0 3 द्वारा पुनश्चः नामान्तरण सं0 674 दिनांक 21.12.2022 कोल मिटिग में पेश हुआ विवादित होने से नामान्तकरण अस्वीकार है। निर्णय उपरान्त नामान्तकरण दर्ज कर पेश करें। प्रकरण में प्रथमतः एक बार ग्राम पंचायत में नामा0 प्रस्तुत करने और उस पर ग्राम पंचायत द्वारा ''न्यायालय में विचाराधीन होने का'' नोट अंकित करने के पश्चात पुनः ग्राम पंचायत की कोरम के समक्ष पेश नहीं करना चाहिए था। नामा0 संबंधित तहसील में राजस्व अधिकारी को पेश होना चाहिए था। द्वितियतः यदि कोरम में नामान्तरण पेश भी किया गया हो तो कोरम द्वारा विवाद का विवरण लिखना चाहिए था। ऐसे रजि0 हकत्याग पत्र में किस तरह का विवाद है यह अंकन निर्णय में करना चाहिए कोरम द्वारा अस्पष्ट आदेश लिखकर नामान्तकरण खारिज किया गया है। जो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार का आदेश अपास्त होना चाहिए।

अतः ग्राम खेरदा पटवार मण्डल सौभागपुरा तह0 पीपल्दा में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 खारिज किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो संबंधित हकत्याग का नामा0 दर्ज करवाकर निर्णित करे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा